अध्याय II : कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय

नारियल विकास बोर्ड

2.1 निधियों का अवरोधन

एक परियोजना की खराब मॉनीटरिंग का परिणाम कुल ₹1.61 करोड़ की सरकारी निधि के उस उदेश्य जिसके लिए यह संस्वीकृत की गई थी, को पूरा किए बिना छ: वर्षों से अधिक के लिए अवरोध/व्यर्थ होने में हुआ।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत नारियल विकास बोर्ड (सी डी बी) के नारियल प्रौधोगिकी मिशन (टी एम ओ सी) की परियोजना अनुमोदन समिति ने अक्टूबर 2007 में कृषि विभाग, तमिलनाडु सरकार को एक परियोजना "2007-08 के दौरान प्रारम्भिक आधार पर नारियल पर इरियोफाईड माईट का नियंत्रण" को स्वीकृत किया था। परियोजना में 45 दिनों के अंतराल पर तीन दौरो के लिए 10 मिली लीटर/पेड़ की दर पर एजाडिरोक्टिन से जड़ के पोषण को अपनाकर राज्य के 10 जिलों में 94.892 लाख घुन पीड़ित ताड़ वृक्षों के उपचार की अभिकल्पना की गई थी। परियोजना की कुल लागत बोर्ड के अंश के रूप में ₹5.69 करोड़ (25 प्रतिशत) सहित ₹22.77 करोड़ थी।

अध्यक्ष, सी डी बी तथा कृषि विभाग, तमिलनाडु सरकार के बीच किए गए दिसंबर 2007 के समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अनुसार परियोजना के समापन तथा अंतिम परियोजना रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि क्रमश: 31 मार्च 2009 या पहले तथा 31 मई 2009 थी। सी डी बी ने कृषि विभाग को कुल ₹2.85 करोड़ के अपने अंश का 50 प्रतिशत दो किस्तों (फरवरी/मार्च 2008) में जारी किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कृषि विभाग ने ₹4.93 करोड़ का व्यय करके दिसंबर 2007 में 2007-08 के दौरान संवितरण करने हेतु रसायनों की कुल आवश्यकता के केवल 25 प्रतिशत (71,168.75 लीटर) का प्रापण किया था तथा इसका 2010-11 तक संवितरण किया गया था। सी डी बी तथा कृषि विभाग द्वारा किए गए संयुक्त फील्ड निरीक्षण (नवम्बर 2008) ने प्रकट किया कि 2008-09 के दौरान अच्छी वर्षा तथा कम धुन आक्रमण होने के कारण रसायन की मांग

कम थी। इसलिए कृषि विभाग ने रसायनों के आगे के प्रापण को रोकने का निर्णय लिया (2009)।

इस प्रकार, सीडीबी द्वारा जारी ₹2.85 करोड़ में से 2009 के आगे से तमिलनाडु सरकार के पास अव्ययित शेष के रूप में ₹1.61 करोड़ को छोड़ते हुए परियोजना हेतु केवल ₹1.23 करोड़ का उपयोग किया जा सका था। परियोजना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सी डी बी के प्रतिनिधियों तथा कृषि विभाग के बीच फरवरी 2013 में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पूर्ण लाभार्थी सूची तथा अंतिम उपयोग प्रमाणपत्र सहित अंतिम परियोजना रिपोर्ट को कृषि निदेशक, तमिलनाडु द्वारा 31 मार्च 2013 तक सी डी बी को प्रस्तुत की जानी थी। इसे कृषि निदेशक द्वारा सितंबर 2013 में प्रस्तुतीकरण की अनुबंधित तारीख के चार वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात प्रस्तुत किया गया था। यघपि कृषि विभाग ने 2009 में रसायनों का आगे का प्रापण रोकने का निर्णय लिया था फिर भी बोर्ड ने केवल 2013 में जाकर ही अव्ययित राशि की वापसी प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारम्भ की थी। इस प्रकार, राशि उद्देश्य को पूरा किए बिना छः वर्षों से अधिक के लिए अवरूद्ध थी। इसके अतिरिक्त सी डी बी ने एम ओ यू के अनुसार कृषि विभाग पर कोई दण्ड भी नही लगाया था।

सी डी बी ने पैरा के तथ्य एवं आकड़ों को सुनिश्चित करते समय उत्तर (अगस्त 2015) दिया कि चूंकि बोर्ड के पास तमिलनाडु सरकार की ऐसी कोई टी एम ओ सी परियोजना नहीं थी जो स्वीकृति हेतु लंबित हो इसलिए कृषि निदेशक को अव्ययित राशि को वापस करने का अनुरोध किया गया था। बाद में यह उत्तर (15 जनवरी 2016) दिया गया था कि कोई दण्ड नही लगाया गया था क्योंकि मामले का नियमित रूप से अनुपालन किया जा रहा है तथा तमिलनाडु सरकार अपने आदेश दिनाँक 12 जनवरी 2016 के माध्यम से अव्ययित शेष को वापस करने को सहमत है।

तथ्य है कि खराब मॉनीटरिंग का परिणाम कुल ₹1.61 करोड़ की सरकारी निधि के उस उद्देश्य जिसके लिए यह संस्वीकृत की गई थी, को पूरा किए बिना छः वर्षो से अधिक के लिए अवरोध/व्यर्थ होने में हुआ। वापसी अभी भी प्राप्त की जानी थी (जनवरी 2016)।

मामला अक्टूबर 2015 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उसका उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2016)।

केंद्रीय पक्षी अनुसन्धान संस्थान, बरेली

2.2 घोषित लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान द्वारा पोषण प्रौद्योगिकी प्रंस्करण इकाई एवं मुर्गी प्रंस्करण प्रयोगशाला के विद्युत एवं जलापूर्ति निर्माण कार्य साथ-साथ न किये जाने का परिणाम ₹ 135.12 लाख की लागत के सिविल कार्य के पश्चात् भी असंचालित होने तथा उसके द्वारा परियोजना के निहित लक्ष्य की प्राप्ति न होने में हुआ।

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, बरेली (संस्थान) ने जनवरी 2004 में; प्रायोगिक मुर्गी पालन पोषण प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (फीड टैक्नोलोजी प्रोसैसिंग यूनिट) के निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया तथा जुलाई 2004 में बरेली में प्रायोगिक मुर्गी पालन प्रसंस्करण प्रयोगशाला (पॉल्ट्री प्रोसैसिंग यूनिट) का निर्माण प्रस्तावित किया ताकि मुर्गी पालन विज्ञान में शोध छात्रों व परास्नातक डिप्लोमा धारको को व्यावहारिक प्रशिक्षण कराया जा सके एवं आधुनिक आधारभूत संरचना अथवा मानव संसाधन विकास का अध्ययन किया जा सके।

तदनुसार संस्थान के अनुरोध पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने फरवरी 2004 में ₹ 18.40 लाख की लागत में पोषण तकनीकी प्रंस्करण इकाई एवं ₹ 33.67 लाख की लागत में अक्टूबर 2004 में मुर्गी पालन प्रसंस्करण इकाई का प्रारम्भिक आकलन प्रस्तु किया जिसका अनुमोदन संस्थान द्वारा क्रमश: मार्च 2004 व नवम्बर 2004 में किया गया एवं एक तिहाई अग्रिम धनराशि ₹17.35 लाख केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त की गई।

लेखापरीक्षा में देखा गया की परिषद् द्वारा मार्च 2005 में उक्त इकाईयों को पीलीभीत रोड स्थित नए स्थल पर स्थान्तरित करने का निर्णय लिया गया परिणामस्वरूप इन भवनों को पोषण तकनीकी प्रसंस्करण इकाई एवं मुर्गी पालन प्रसंस्करण प्रयोगशाल (निर्माण हेतु पुन: प्रस्ताव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को

स्वीकृत मास्टरप्लान के अनुसार बिना विद्युत् एवं जलापूर्ति कार्य के प्रावधान के प्रेषित किया गया (अप्रैल 2007)। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अगस्त 2007 में दोनो भवनों की संशोधित लागत क्रमश: ₹ 57.46 लाख व ₹ 63.52 लाख निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित आकलन प्रस्तुत किया जिसका मूल्यांकन निदेशक (निर्माण) द्वारा किया गया तथा परिषद् द्वारा 11वीं योजना के अन्तर्गत इसे स्वीकृति प्रदान की गई किन्तु प्राक्कलन में विद्युत एवं जलापूर्ति का प्रावधान नहीं किया गया।

दोनो निर्माण कार्य के.लो.नि.वि .द्वारा पूर्ण कर अप्रैल 2011 में संस्थान को ₹135.12 लाख व्यय कर हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में मार्च 2014 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को विद्युत् एवं जलापूर्ति हेतु प्रस्ताव संस्थान द्वारा प्रेषित किया गया जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सितम्बर 2015 में एवं नवम्बर 2015 में प्राप्त की गई। परिणामस्वरूप दोनों भवनों का अभी तक कोई उपयोग नहीं हो सका।

अत: पोषण तकनीकी प्रसंस्करण इकाई एवं मुर्गी पालन प्रसंस्करण प्रयोगशाला के बनने के साथ विद्युत् एवं जलापूर्ति का कार्य न कराये जाने के परिणामस्वरूप सिविल कार्यों पर ₹ 135.12 लाख व्यय करने के बावजूद भवन असंचालित रहा एवं परियोजना के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकी।

संस्थान ने कहा (सितम्बर 2015/जनवरी 2016) कि परियोजना को अंतिम रूप देते समय विद्युत/जलापूर्ति को ध्यान में नहीं लिया गया क्योंकि उस समय अभिलेख में प्रस्ताव उपलब्ध नहीं थे। फिर भी, भवन का प्रयोग चारा सामग्री के भण्डारण के लिए किया जा रहा था। उत्तर यह सिद्ध करती है कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियॉ भवन निर्माण के साथ विद्युत/जल निर्माण कार्य के न होने के फलस्वरूप भवन का निहीत उद्देश्य के लिए प्रयोग न हो सका। इसके अतिरिक्त संस्थान के लिए मुर्गी पालन प्रसंस्करण प्रयोगशाला के निर्माण के स्थान पर, भवन का प्रयोग चारा सामग्री के भण्डारण के लिए किया जा रहा था।

इस मामले को मंत्रालय को अक्तूबर 2015 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।